-प्रेस नोट-

दिनांक: 06-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट के मुकदमें में वांछित 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से लूट की नकदी व अवैध असलाह/कारतूस बरामद

बरामदगीः-

- **33,600/- रूपये (लूट के)**
- **01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर**
- **01 चाकू नाजायज**

अवगत कराना है कि दिनांक 27.01.2024 को वादी श्री किशोर कुमार पुत्र कृष्ण लाल ठक्कर नि0 डी-19, गोपाल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के चाचा के घर मदनपुरी कालोनी, मण्डी) में घुसकर 1,38,000/- रूपये, एक सोने की अगूँठी छीन कर लेना व जान से मारने की धमकी देने के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 22/2024 धारा 452/392/506 भादवि के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की धरपकड़ हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 06.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते मुकदमा उपरोक्त में **वांछित 03 शातिर अभियुक्तगण 1. आस मौहम्मद पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम मुल्ला नागराजपुर बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2. सुधीर उर्फ लक्की पुत्र सतीश निवासी मौहल्ला कहरान पुरानी चुँगी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर व 3. अन्जार पुत्र जसीम आलम निवासी ग्राम मौहर्रा थाना कोचाधामन जिला किशनगंज (बिहार)** को सकलापुरी रोड पर श्यामनगर की तरफ बाग से पहले कोने के प्लाट से गिरफ्तार किया गया। **अभियुक्तगण के कब्जे से 33,600/- रूपये नकद (अभियुक्त सुधीर उर्फ लक्की से 12200/- रूपये, अभियुक्त आस मोहम्मद से 11800/- रूपये, अभियुक्त अन्जार से 9600/- रूपये बरामद), 01 चाकू व 01 तमंचा सहित 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद** हुए। मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/120B भादवि की वृद्धि की गयी। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 30/2024 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट बनाम आस मोहम्मद व सुधीर उर्फ लक्की उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- अभियुक्तगण द्वारा बताया कि हम तीनों व हमारे साथी नवीन सैनी, जहांगीर तथा अनिल यादव के द्वारा आस मौहम्मद के फक्ट्री/घर मे बैठकर योजना बनाई थी कि पैसों की तंगी चल रही है जिसके लिए किसी घटना को अन्जाम देना है जिस पर नवीन द्वारा बताया गया कि मैं मदनपुरी कालोनी में पहले भी पूनम बेकरी वाले दुकानदार के साथ घटना कर चुका हूँ तथा यह दुकानदार पूरा दिन गोल कोठी पर पूनम बेकरी पर दुकानदारी करता है और रात को करीब 11-12 बजे पूरे पैसे लेकर मदनपुरी कालोनी में अपने घर आता है जिस पर सभी की

सहमति बनने पर योजनाबद्ध तरीके से दिनाँक 26.01.2024 की रात्रि में हम सब लोग लूट की घटना को अन्जाम देने के लिए मदनपुरी कालोनी के गेट व गलियों में रेकी कर खडे हो गए थे तो समय करीब 12 बजे पूनम बेकरी वाला दुकानदार स्कूटी से अपने घर पर गया तो नवीन द्वारा बताया गया कि यह आदमी बेकरी का दुकानदार है जिस पर नवीन व जहाँगीर व लक्की व अनिल यादव उस आदमी के पीछे-पीछे घर के अन्दर घुस गए, उसके थोडी देर बाद चारो लोग घटना को अन्जाम देकर मोटरसाइकिल से वापस आश मौहम्मद के घर आ गए जहाँ पर आश मौहम्मद व अन्जार पहले से ही बैठे इन्तजार कर रहे थे, जो लूट के रुपये आए थे वह हम सबने आपस में बाँट लिए थे, हम तीनों के हिस्से में जो पैसे आए थे उसमें से खर्च होने के बाद जो बचे थे जो आपको हमारे पास से मिले है। करीब 9 साल पहले भी नवीन सैनी ने अपने साथी नितिन व खुसतर के साथ मिलकर युधिष्ठिर के यहां लूट की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. आस मौहम्मद पुत्र नूर मौहम्मद निवासी ग्राम मुल्ला नागराजपुर बेहट रोड थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
2. सुधीर उर्फ लक्की पुत्र सतीश निवासी मौहल्ला कहरान पुरानी चुँगी थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. अन्जार पुत्र जसीम आलम निवासी ग्राम मौहर्रा थाना कोचाधामन जिला किशनगंज (बिहार)

बरामदगी का विवरण –

- 33600 रूपये नकद
- 01 अवैध चाकू नाजायज (अभियुक्त सुधीर उर्फ लक्की उपरोक्त के कब्जे से)
- 01 तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त आश मौहम्मद उपरोक्त के कब्जे से)

अभियुक्त अनजर उर्फ अन्जार उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 667/2018 धारा 120-B/363/366/376 भादवि व 16/17/3/4 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

अभियुक्त आस मौहम्मद उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 124/2017 धारा 363/376 भादवि व ¾ पोक्सो एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 736 दीपक नागर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:06-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 06.052.2024 को थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी **अभियुक्त अक्षय पुत्र राजेन्द्र नि0 कालन्दी थाना सरधना जनपद मेरठ** को सम्बन्धित मु0अ0स0 19/20 धारा 399,402 भादवि चालानी थाना बड़गांव में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कार्यवाही कर अभियुक्त को समय से मा० न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है|

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अक्षय पुत्र राजेन्द्र नि0 ग्राम कालन्दी थाना सरधना जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ०नि० श्री बिजेंद्र शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. का० 2529 बोबी थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर|

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण,वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर **01 वांछित अभियुक्त सावेज पुत्र साजिद निवासी ग्राम खुड्डा थाना छपार जनपद मु0नगर हाल पता ग्राम गोपाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को संबंधित मु0अ0सं0-700/2023 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट में ग्राम थीथकी के नाले की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः–

सावेज पुत्र साजिद निवासी ग्राम खुड्डा थाना छपार जनपद मुजफ्फनगर हाल पता ग्राम गोपाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 रामबीर सिह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 2096 गौरव कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. हे.का.417 अकबर अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06-02-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार अधाना के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित **अभियुक्त मयंक उर्फ दीपू पुत्र सुल्तान नि0 ग्राम कुतुबपुर कुसानी थाना गागलहेडी** सहारनपुर को संबंधित मु0अ0सं0- 22/24 धारा- 307/504 भादवि में को मय एक अदद तमन्चा 315 बोर व कारतूस के साथ ग्राम घडकौली के पास से गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त मयंक उर्फ दीपू ने पूछताछ करने पर बताया गया कि दिनांक 04.02.24 की रात में शादी में मेरा झगडा गाँव के ही विकास पुत्र संजय के साथ हो गया था। जिस कारण तैश में आकर मैने अपने इसी तमन्चे से विकास को गोली मार दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मयंक उर्फ दीपू पुत्र सुल्तान नि0 ग्राम कुतुबपुर कुसानी थाना गागलहेडी।

बरामदगी का विवरण

01 तमन्चा 315 बोर

01 खोखा/01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मयंक उर्फ दीपू

मु0अ0सं0 22/24 धारा- 307/504 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री मुनफैत अली थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. का0 2259 पालेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

दिनांक: 06-02-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा तमंचा के साथ वीडियों बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर अराजकता फैलाने के प्रकरण में वांछित 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 01.02.2024 को सूचना प्राप्त हुई कि इन्स्टाग्राम आईडी-SANKEY988 से एक वीडियो अपलोड की गयी थी, जिसमें चार अज्ञात व्यक्ति गाडी में बैठे तमंचा लेकर रील बना रहे है, के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 16/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 06.02.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे **अभियुक्त शेखर पुत्र मामचन्द उर्फ पप्पू नि0 नसरुल्लागढ थाना नकुड सहारनपुर** को ट्रांसपोर्ट नगर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शेखर पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम नसरुल्लागढ थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:

01 चाकू बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिहं थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0कां0 113 विकास कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
4. है0कां0 354 संजीव कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 06.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा कर मुनादी करायी गयी।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त **मानस बब्बर पुत्र अशोक बब्बर निवासी बी- 58 गोपाल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्र्वाही कर एडीएम महोदय प्रशासन/वित्त एवं राजस्व के आदेशानुसार जिलाबदर घोषित किए जाने के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा अभियुक्त मानस बब्बर उपरोक्त के घर पर ढोल, गाजे बाजे आदि से मुनादी करायी गयी तथा अभियुक्त मानस बब्बर उपरोक्त के मसकन पर माननीय न्यायलय के आदेश को चस्पा किया गया।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पताः-

मानस बब्बर पुत्र अशोक बब्बर निवासी बी- 58 गोपाल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

जिलाबदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 35/23 धारा 326बी भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 233/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 305/20 धारा 8/20 NDPS Act थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 188/20 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
5. मु0अ0सं0- 315/19 धारा 8/20 NDPS Act थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
6. मु0अ0सं0- 81/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
7. मु0अ0सं0- 15/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
8. मु0अ0सं0- 362/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
9. मु0अ0सं0- 346/16 धारा 147/148/149/307/323/504/506 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
10. मु0अ0सं0- 289/15 धारा 147/341/353 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

मुनादी कराने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 978 अंकित भडाना थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. कां0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण,अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़/गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.02.24 को मुखबिर की सूचना पर **01 अभियुक्त छोटू उर्फ सर्विश पुत्र रामपाल निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ग्राम चढाव के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी के सम्बन्ध मे गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड पर मु0अ0सं0 30/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बताया गया कि पुलिस टीम द्वारा जो नाजायज चाकू मुझसे बरामद हुआ है उसे मैं लोगो में रोब जमाने के लिये अपने पास रखता हूँ तथा मैं कक्षा 12 वीं तक पढ़ा लिखा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

छोटू उर्फ सर्विश पुत्र रामपाल निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 197/2023 धारा 379/411भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

01 नाजायज चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 587 प्रदीप मावी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.02.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब व 01 नाजायज चाकू बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मण्डी श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त चैकिंग के दौरान आज दिनांक 06.02.2024 को थाना कोतवाली मण्डी क्षेत्र शकूरी मस्जिद के पास से एक अभियुक्त **रिहान पुत्र इरशाद निवासी इन्द्रा चौक गली न0-02 थाना मण्डी सहारनपुर** को 12 बोतल अवैध देशी शराब व 01 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रिहान के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 63 आबकारी अधि0 व धारा 4/25 आयुध अधि0पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मेरा गावं हरियाणा राज्य के बोर्डर पर है इसलिये अपने खर्चो को पूरा करने के लिये मै अक्सर वहाँ से आने जाने वालो से कभी अग्रेजीं और कभी देशी शराब लाकर इधर उधर लाकर महंगे दामो पर बेचता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिहान पुत्र इरशाद निवासी इन्द्रा चौक गली न0- 02 थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 12 बोतल देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का
- 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टीः-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. है0का0 663 बालेन्द्र थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

दिनांक: 06.02.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा कर मुनादी करायी गयी एवं अभियुक्त को जनपद की सीमा से किया गया बाहर

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में अभियुक्त **सागर पुत्र ब्रजपाल निवासी गलीरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को गुण्डा अधिनियम में प्रभावी निवारक कार्यवाही कर एडीएम महोदय प्रशासन/वित्त एवं राजस्व के आदेशानुसार जिलाबदर घोषित किए जाने के आदेश के अनुपालन में पुलिस द्वारा अभियुक्त सागर उपरोक्त के घर पर मुनादी कराकर नोटिस चस्पा किया गया तथा अभियुक्त सागर उपरोक्त को जनपद की सीमा से बाहर जिला यमुनानगर, हरियाणा राज्य की सीमा मे छोडा गया तथा हिदायत दी गयी कि जिला बदर की अवधि तक जिला सहारनपुर की सीमा के अन्दर प्रवेश ना करे अन्यथा आपके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पताः-

सागर पुत्र ब्रजपाल निवासी गलीरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

जिलाबदर अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

11.मु0अ0सं0- 512/22 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
12.मु0अ0सं0- 234/22 धारा 420/465/414 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर
13.मु0अ0सं0- 236/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम थाना सदर बाजार सहारनपुर
14.मु0अ0सं0- 67/22 धारा 4/25 आर्म्स अधिनियम थाना सदर बाजार सहारनपुर

मुनादी कराने वाली पुलिस टीमः-

5. प्र0नि0 संतोष कुमार त्यागी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. है0का0 680 भूपेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. का0 215 सुमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
9. का0 अजय थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर